

**छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2445 /PROJ-41011/198/2026-WRD/एफ-2-80/31/एस-2/2021, अटल नगर, दिनांक 09/06/2026  
प्रति,

मुख्य अभियंता,  
गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
जगदलपुर (छ.ग.)

**विषय:-** कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड-माकड़ी की भेलवापारा से डोंगरीपारा मार्ग में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।  
**संदर्भ :-** प्र.अ. का पत्र क्र.-1923/बोधी/RAA/2026/2766, दिनांक 01.04.2026.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड-माकड़ी की भेलवापारा से डोंगरीपारा मार्ग में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कार्य हेतु लागत राशि ₹ 455.01 लाख (रुपए चार करोड़ पचपन लाख एक हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने के उपरांत निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, आवागमन एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
2. योजना पर व्यय बजट शीर्ष माँग संख्या-41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भूतल जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (5059)-एनिकट / स्टापडेम का निर्माण, #97-निर्माण कार्य, 003-बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. वित्त विभाग द्वारा उनके ऑनलाईन कम्प्यूटर जावक E Comp. No.:353384 File No.:FINACC-38029/740/2026-FINANCE दिनांक 25.05.2026 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
4. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
6. कार्य की ड्रॉइंग व डिजाइन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
8. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
9. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
10. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।

11. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
12. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
13. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (Liability) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न किये जाये।
14. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
15. अनुबंध अनुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि (Time Extention) न की जाये। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
16. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
17. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
18. कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 09-06-2026  
11:17:03

(विद्या भारती)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 2446 /PROJ-41011/198/2026-WRD/एफ-2-80/31/एस-2/2021, अटल नगर, दिनांक 09/06/2026

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 4 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 5 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 6 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।
- 8 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 9 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 10 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
- 11 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, बस्तर जल संसाधन मण्डल, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- 13 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 14 आदेश फोल्डर।

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 09-06-2026  
11:17:43

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

